BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 590/2025

<u>IN THE MATTER OF</u>:

NITIN ANAND APPLICANT

Versus

MINISTRY OF RAILWAYS & ORS. RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit on behalf of the District Magistrate – Bareilly in compliance of the order dated 24.11.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	**Annexure No. RA 1: -** A copy of the Letter dated 16.01.2026 constituting the Committee	
3.	**Annexure No. RA 2: -** A copy of the Joint Inspection Report dated 20.01.2026	
4.	**Annexure No. RA 3 (Collectively): -**	

	Copies of the Letters sent to the Divisional Railway Manager, Izzatnagar Division, North Eastern Railway, as well as to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Bareilly	

DATED: - **16.02.2026**

FILED THROUGH

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF U.P.

A-15, FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI – 110013

MOB: - 9990804440

Email: - ankit.scngtup@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 590/2025

IN THE MATTER OF:

NITIN ANAND APPLICANT

Versus

MINISTRY OF RAILWAYS & ORS. RESPONDENT(S)

REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE BAREILLY IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 24.11.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

303
16/02/2026

The Respondent No. 07 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Avinash Singh aged about 55 years, S/o Late Shri Dinesh Bahadur Singh, presently posted as District Magistrate – District Bareilly, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under:-

1. That I am the above-mentioned Respondent No. 07 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent is posted as District Magistrate- Bareilly, since about 10 month and is swearing this affidavit in his official capacity.

3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

4. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 24.11.2025 was pleased to issue the following directions: -

"….2. Issue notice to the Respondents. The Applicant is directed to serve the Respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

3. List on 19.02.2026.

5. That in compliance of the aforesaid Order dated 24.11.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, and in furtherance of the issues raised in the complaint/representation dated 01.08.2025 submitted by the Applicant, a Joint Inquiry Committee was constituted by the Additional District Magistrate, Bareilly on behalf of the Office of the Deponent vide Letter dated 16.01.2026.

6. That the said Committee comprised of the Additional City Magistrate (First), Bareilly; the Executive Engineer, Nagar Nigam, Bareilly; and the Tehsildar, Sadar, Bareilly. The Committee was directed to conduct an inspection and submit a compliance report within a period of three days. A copy of the Letter dated 16.01.2026 constituting the said Committee is being annexed as **Annexure No. RA-1** to this Reply Affidavit.

7. That pursuant thereto, Joint Inspection Report dated 20.01.2026 was submitted by the aforesaid Committee, wherein it has been reported that the Meter Gauge which is non-operational along the railway track of the North Eastern Railway, extending from Shahdana (Shyamganj) to Izzatnagar Railway Station, Bareilly, encroachments have been made upon the reserved railway land situated on both sides of the track. The nature of such encroachments, as recorded in the said report, includes the following:

   a. Storage of building and construction materials;
   b. Tethering of buffaloes and cows to the railway track and accumulation of dung for the purpose of operating dairy activities;
   c. Operation of scrap dealing activities involving purchase and sale of scrap material, with residual waste being indiscriminately scattered over the railway land; and

d. Unauthorized construction of residential structures upon the said railway property.

A copy of the Joint Inspection Report dated 20.01.2026 is being annexed as **Annexure No. RA 2** to this reply affidavit.

8. That it is respectfully submitted that the land in question, **(the Meter Gauge which is non-operational along the railway track of the North Eastern Railway, extending from Shahdana (Shyamganj) to Izzatnagar Railway Station, Bareilly)** situated along the aforesaid stretch of railway track, is owned by the Railways and forms part of its unused premises. The said land vests exclusively with the Railway Authorities and falls within their administrative and statutory control. The Railway Department is under a statutory and legal obligation to secure and safeguard the said land by erecting appropriate fencing and/or boundary walls, and to prevent and remove illegal encroachments and unauthorized activities being carried on thereupon, particularly in view of the environmental and public health concerns involved.

9. That having regard to the serious environmental ramifications arising from the aforesaid activities, including improper waste disposal and unhygienic conditions, it is imperative that expeditious and appropriate remedial and preventive action

be undertaken by the competent Railway Authorities in accordance with law.

10. That in further compliance of the aforesaid Order dated 24.11.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in the present Original Application, communications have already been addressed to the Divisional Railway Manager, Izzatnagar Division, North Eastern Railway, as well as to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Bareilly, calling upon them to take necessary and appropriate action in accordance with law. Copies of the Letters sent to the Divisional Railway Manager, Izzatnagar Division, North Eastern Railway, as well as to the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Bareilly are collectively being annexed as **Annexure No. RA 3** to this reply affidavit.

11. That since the land in question vests exclusively in the Railway Administration and falls squarely within their jurisdiction and administrative control, no further coercive or remedial action is legally permissible at the level of the undersigned beyond the steps already undertaken.

12. That the answering Deponent neither owns nor exercises administrative, proprietary, or statutory control over the land in question, which undisputedly vests in the Railway Administration under the provisions of the Railways Act, 1989. Consequently, any removal of encroachment,

demolition, fencing, or eviction proceedings can only be undertaken by the competent Railway Authorities in accordance with the procedure prescribed under law.

13. That immediately upon receipt of the order of this Hon'ble Tribunal, prompt administrative steps were initiated without delay, including constitution of a Joint Inquiry Committee and issuance of communications to the concerned authorities, thereby demonstrating bona fide compliance.

14. That the Deponent most respectfully submits that he remains duty bound to ensure faithful compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal and has taken all steps within his jurisdiction to give effect to the same.

15. That in the facts and circumstances stated hereinabove, it is most respectfully prayed that the present Reply Affidavit filed on behalf of the Deponent be graciously taken on record in the interest of justice.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at BAREILLY.. on 16/02/2026 that the contents of the paras 1 to of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Certified that Shri AVINASH SINGH
Identified by Shri Self Late Shri DINESH BAHADUR SINGH
Confirmed to The Contents of the affidavit
In my Presence at Penalty ... And
Further Understood Contents. Self
16/02/2026

DEPONENT

Notary
(U.P.) India

P
16/01/26

Annexure NO. RA-1

संशोधन-आदेश

इस कार्यालय के आदेश पत्र संख्या 844/एस0टी0–2026 दिनांक 05.01.2026 के अन्तर्गत श्री नितिन आनन्द निवासी–शाहदाना कॉलौनी माडल टाउन थाना बारादरी जिला बरेली द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद O-A-NO- 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य योजित की गयी है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय बरेली को पक्षकार बनाया गया है, के प्रकरण में अपर नगर मजिस्ट्रेट–द्वितीय, बरेली को संयुक्त रूप से जॉच करने हेतु नामित किया गया था। प्रश्नगत प्रकरण अपर नगर नगर मजिस्ट्रेट–प्रथम बरेली के क्षेत्र में आता है। अतः प्रश्नगत प्रकरण की संयुक्त रूप से जॉच करने हेतु निम्न प्रकार टीम का गठन किया जाता है:–

1. अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम), बरेली।
2. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम बरेली।
3. तहसीलदार, सदर, बरेली।

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त शिकायती पत्र में उल्लखित बिन्दुओं की संयुक्त रूप से जॉच करके, संयुक्त रूप से जॉच आख्या तीन दिन के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सौरभ दुबे)
अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर)
बरेली।

NOTARY PARVEZ KHAN ADVOCATE & NOTARY GOVERNMENT OF INDIA

पत्रांक 874/एस0टी0–2026 कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) बरेली। दिनांक 16.01.2026

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय बरेली को सादर सूचनार्थ।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, महोदय, बरेली को सूचनार्थ।
3. उपरोक्त अधिकारियों को तत्काल अनुपालनार्थ।

16/01/2026

अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर)
बरेली।

Annexure No-RA-2
A-R2

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।

संख्या 31 /अ0न0म0(प्रथम)–2026 दिनांक 20 .01.2026

Annexure R-1

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
बरेली।

महोदय,

कृपया कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), के पत्रांक– 874/एस0टी0–2026 दिनांक 16.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें श्री नितिन आनन्द निवासी–शाहदाना कॉलौनी माडल टाउन थाना बारादरी जिला बरेली द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद– O-A NO- 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य योजित की गयी है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय बरेली को पक्षकार बनाया गया है। उक्त वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24.11.2025 को आदेश पारित किया गया है।

आज दिनांक 19.01.2026 को अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बरेली के आदेश दिनांक 16.01.2026 के अन्तर्गत श्री नितिन आनन्द निवासी– शाहदाना कॉलोनी माडल टाउन थाना बारादरी जिला बरेली के शिकायती पत्र दिनांक 01.08.2025 में उल्लिखित बिन्दुओं की जॉच हेतु गठित टीम जिसमें अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) बरेली, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम बरेली एवं तहसीलदार, सदर बरेली के द्वारा जॉच की गयी। फोटोग्राफ संलग्न है।

जॉचोपरान्त यह पाया गया कि पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अनुप्रयुक्त मीटरगेज रेलवे ट्रैक शहदाना (श्यामगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के दोनों ओर रेलवे की आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण सामग्री, भैंस/गाय इत्यादि ट्रेक से बांधकर गोबर एकत्रित कर डेयरी संचालन किया जाना, कबाड़ियों द्वारा कबाड़ को खरीदने बेचने का कार्य करते हुये अवशेष कचरा रेलवे की भूमि पर फैलाया जाना तथा रेलवे की उक्त भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत क्षेत्र रेलवे के स्वामित्व का है जो रेलवे का निजी परिसर है। रेलवे विभाग को उक्त भू-खण्ड/भाग, पर फेन्सिंग/बाउन्ड्रीवॉल बनाकर संरक्षित एवं सुरक्षित किये जाने के साथ–साथ अवैध रूप से संचालित हो रही गतिविधियों को पर्यावणीय दृष्टिकोण से रोका जाना वैधानिक बाध्यता है।

अतः उक्तानुसार रेलवे विभाग को पर्यावरण के दृष्टिकोण से यथाशीघ्र कार्यवाही किया जाना अतिआवश्यक है।

19/01/26 (भानु प्रताप) तहसीलदार सदर, बरेली।	(राजीव कुमार राठी) अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम बरेली।	19/01/26 (गुलाब चन्द्र) अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) बरेली।

(A)

फर्द मौका

आज दिनांक-19-01-2026 को मो०-ईट पजाया चौराहा राजनगर-ग्राम-रहमपुरा गांव तह० व जिला- बरेली मे स्थित रेलवे ट्रैक की भूमि का स्थलीय निरीक्षण अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) बरेली श्री गुलाब चन्द व अधिशासी अभियन्ता नगर निगम व तहसीलदार सदर बरेली की उपस्थिति मे किया गया / निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि रेलवे ट्रैक की भूमि पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कारोबार व डेयरी व अन्य प्रकार गन्दगी है। स्थलीय निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री नितिन आनन्द नि० शाहदाना कालोनी माडल टाउन भी उपस्थित रहे /

19/01/26 (ACM-1)

19/1/26 NITIN ANAND

19/01/26 Tah(S)

19/1/2026

19/1/26

NOTARY PARVEZ KHAN ADVOCATE & NOTARY ... GOVT. OF INDIA

ADVOCATE & NOTARY
BAREILLY (U.P.)
OF INDIA

NOTARY
PARVEZ KHAN
ADVOCATE & NOTARY
OF INDIA

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में पारित ओ0ए0 सं0 590/2025 "नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य" मे पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 के अनुपालन में स्थल निरीक्षण आख्या–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 590/2025 "नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य" मे पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 में मुख्य अंश निम्नवत् है–

"........1. In this Original Application (OA), the Applicant has raised a grievance about illegal dumping of solid waste in a stretch of 2.6 Km. of unused meter gauge railway track adjacent to the new-leased Shyamganj railway station. The Applicant alleges that this stretch of the railway track has not been used for railway operations for past 30-35 years and on account of negligence of the Railway Authorities and the Municipal Corporation the entire area of the railway track and 50 meters from both side of the track has turned into illegal open dumping site for solid waste, toxic waste, construction debris, dairy waste etc. and this area has been encroached upon which is creating health hazard. The Applicant had earlier approached the Tribunal by filing an OA No. 377/2025 which was disposed by the Tribunal by order dated 30.07.2025 permitting the Applicant to file a detailed complaint along with all the supporting material to the Member Secretary, UP PCB and the Member Secretary was directed to get the spot inspection done and ascertain the extent of violation of environmental norm and take appropriate remedial action within three months. The Applicant submits that though the complaint dated 1.08.2025 (Annexure -A) in terms of the order of the Tribunal was made to the UP PCB but till now no action has been taken though three months period has expired....."

उक्त आदेश के अनुपालन में अद्योहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण याचिकाकर्ता श्री नितिन आनन्द, निवासी–शहदाना कालोनी, मॉडल टाउन, बरेली की उपस्थिति में दिनांक 15.12.2025 को किया गया। प्रश्नगत शिकायती स्थल पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अनुप्रयुक्त मीटरगेज रेलवे ट्रैक (लम्बाई लगभग 2.6 कि0मी0) शहदाना (श्यामगंज) से इज्जनगर रेलवे स्टेशन, बरेली के मध्य स्थित है, जो कि विगत लगभग 30 वर्षों से अनुप्रयुक्त अवस्था में होने के कारण रेलवे लाइन के दोनों ओर रेलवे विभाग की रिक्त भूमि पर अतिक्रमण होने के कारण समस्या होने से अवगत कराया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्य निम्नवत् है–

1. उक्त रेलवे लाइन पूर्व में इज्जतनगर रेलवे स्टेशन से शहदाना (श्यामगंज) स्टेशन तक (कुल दूरी लगभग 2.6 कि0मी0) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा स्थापित की गयी थी, जिसके दोनों ओर स्थित रिक्त भूमि पर अतिक्रमण होने सम्बन्धी शिकायत की गयी है। वर्तमान में शहदाना (श्यामगंज) स्टेशन अस्तित्व में नहीं है।
2. सर्वप्रथम मौके पर उपस्थित याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवास के समीप प्रेमनगर कालोनी एवं मॉडल टाउन के मध्य स्थित अनुप्रयुक्त रेलवे लाइन स्थल पर संचालित डेयरी स्वामियों द्वारा अतिक्रमण करते हुये डेयरी से जनित गोबर को खुले में भण्डारण किये जाने की समस्या का उल्लेख किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर डेयरी इकाई संचालकों द्वारा इकाई के स्वामित्व, नाम व पता आदि विवरण सम्बन्धी कोई भी जानकारी नहीं दी गयी तथा रेलवे लाइन पर डेयरी से जनित वेस्ट/गोबर का भण्डारण पाया गया। फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

Phone & Fax: 0581-2535299

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः 1219/1, ई-ब्लाक राजेन्द्र नगर, बरेली-243 122
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: 1219/1, E-Block, Rajendra Nagar, Bareilly-243 122

सन्दर्भ संख्याः- 780 /एन0जी0टी0-590/2025/2025 दिनांक 20/12/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री आफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 35212/सी-7/ओ0ए0 नं0 377/2025 दिनांक 27.11.2025 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 590/2025 "नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य" मे पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण याचिकाकर्ता श्री नितिन आनन्द, निवासी-शहदाना कालोनी, मॉडल टाउन, बरेली की उपस्थिति में दिनांक 15.12.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या संलग्न है। निरीक्षण आख्या में पाये गये तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत शिकायती स्थल पर पाये गये अतिक्रमण, जिसमें आवासीय घर, डेयरी अस्थायी शेड, रैग पिकर्स, निर्माण सामग्री, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सम्मिलित है, को हटाया जाना आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही भू-स्वामित्व संस्था कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक/इंजीनियर, इज्जनगर, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु मण्डल रेल प्रबंधक/इंजीनियर, इज्जनगर, पूर्वोत्तर रेलवे को बोर्ड मुख्यालय स्तर से पत्र प्रेषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

NOTARY
PARVEZ KHAN
ADVOCATE & NOTARY
BAREILLY (U.P.)
Reg. No 1...

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. मण्डलायुक्त महोदय, बरेली मण्डल, बरेली।
2. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
3. मुख्य विधि अधिकारी, प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

3. निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों पर जानकारी प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि प्रेमनगर कालोनी व मॉडल टाउन के मध्य स्थित अनुप्रयुक्त रेलवे लाइन के दोनों ओर स्थित रिक्त भूमि पर विभिन्न स्थलों पर किये गये अतिक्रमण, जिसमें आवासीय घर, डेयरी, अस्थायी शेड, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सम्मिलित है, को रेलवे विभाग द्वारा लाल रंग से क्रास कर चिन्हित किया गया है। फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

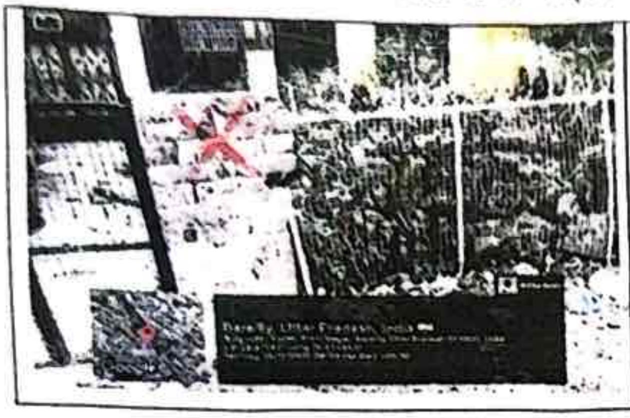

4. इसी कम में गांधी नगर एवं जनकपुरी कालोनी के मध्य रेलवे लाइन के पास नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु रैग पिकर्स द्वारा स्थल पर अतिकमण एवं जल भराव पाया गया। स्थानीय निवासियों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त क्षेत्र लो–लाईग एरिया होने के कारण निकटवर्ती कालोनियों से जनित घरेलू उत्प्रवाह एवं वर्षा जल के कारण क्षेत्र में जल भराव की समस्या है, मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

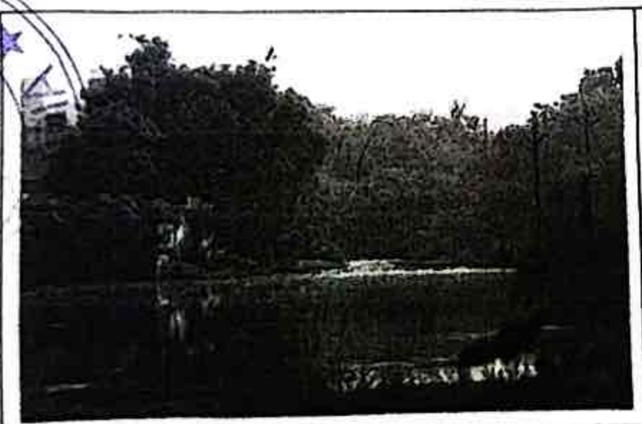

5. इसी कम में मॉडल टाउन एवं माधोबाड़ी के समीप रेलवे लाइन पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पशुपालन पाया गया तथा रेलवे लाइन के दोनों ओर रिक्त भूमि स्थल पर किये गये अतिकमण, जिसमें आवासीय घर, डेयरी, अस्थायी शेड, रैग पिकर्स, निर्माण सामग्री, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सम्मिलित है, को रेलवे विभाग द्वारा लाल रंग से क्रास कर चिन्हित किया गया है। फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

6. मौके पर उपस्थित याचिकाकर्ता द्वारा अगवत कराया गया कि कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक/इंजीनियर, इज्जतनगर, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अपने पत्र सं0 ई-विविध/आर0टी0आई0/ई-02 दिनांक 05 मार्च, 2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि श्यामगंज यार्ड से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के मध्य ट्रैक के उत्तर एवं दक्षिण में स्थित भूमि का स्वामित्व इज्जतनगर मण्डल, पूर्वोत्तर रेलवे के पास है, पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

<u>मुख्य अवलोकन एवं संस्तुतिः-</u>

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत शिकायती स्थल पूर्वोत्तर रेलवे का अनुप्रयुक्त मीटरगेज रेलवे ट्रैक (लम्बाई लगभग 2.6 कि0मी0) शहदाना (श्यामगंज) से इज्जनगर रेलवे स्टेशन, बरेली के दोनो ओर जगह-जगह म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एवं गोबर इत्यादि वेस्ट एकत्रित होने के कारण आस-पास के परिवेशीय वातावरण तथा जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वभाविक है, जिसके दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

1. श्यामगंज से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के मध्य स्थित अनुप्रयुक्त रेलवे ट्रैक एवं उसके दोनो ओर पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन रिक्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध रेलवे विभाग की कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
2. श्यामगंज से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के मध्य अनुप्रयुक्त रेलवे ट्रैक पर डम्प किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं गोबर इत्यादि का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।
3. जनकपुरी कालोनी के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन रिक्त भूमि की साफ-सफाई एवं रख-रखाव इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि स्थल पर जल भराव की समस्या न हो।

अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नगत शिकायती स्थल पर पाये गये अतिक्रमण, जिसमें आवासीय घर, डेयरी, अस्थायी शेड, रैग पिकर्स, निर्माण सामग्री, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि सम्मिलित है, को प्रश्नगत स्थल से हटाया जाना आवश्यक है, जिसके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही भू-स्वामित्व संस्था कार्यालय मण्डल रेल प्रबंधक/इंजीनियर, इज्जनगर, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(सुनील कुमार)
वैज्ञानिक सहायक

(अंशुल शर्मा)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

NOTARY PARVEZ KHAN ADVOCATE & NOTARY BAREILLY U.P.

A-3 (colly)
Annexure NO-RA-3 (colly)

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बरेली।

पत्रांक- 961 /ओ०ए० संख्या-590/2025 दिनांक-01.02.2026

नगर आयुक्त
नगर निगम
बरेली।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0- 590/2025"नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य" में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत श्री नितिन आनन्द निवासी शहदाना कालोनी माडल टाउन थाना बारादरी जनपद बरेली के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2025 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम), अधिशासी अभियन्ता नगर निगम बरेली एंव तहसीलदार सदर बरेली से संयुक्त जांच आख्या प्राप्त की गयी। संयुक्त जांच आख्या दिनांक 20.01.2026 में अवगत कराया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अनुप्रयुक्त मीटरगंज रेलवे ट्रैक शहदाना(श्यामगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के दोनों ओर रेलवे की आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण सामग्री, भैंस/गाय इत्यादि ट्रेक से बांधकर गोबर एकत्रित कर डेयरी संचालन किया जाना, कबाड़ियों द्वारा कबाड़ को खरीदने बेचने का कार्य करते हुए अवशेष कचरा रेलवे की भूमि पर फैलाया जाना तथा रेलवे की उक्त भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत क्षेत्र रेलवे के स्वामित्व का है जो रेलवे का निजी परिसर है। रेलवे विभाग को उक्त भू-खण्ड/भाग, पर फेन्सिंग/बाउन्ड्रीवॉल बनाकर संरक्षित तथा सुरक्षित किये जाने के साथ-साथ अवैध रूप से संचालित हो रही गतिविधियों को पर्यावणीय दृष्टिकोण से रोका जाना वैधानिक बाध्यता है। उक्तानुसार रेलवे विभाग को पर्यावरण के दृष्टिकोण से यथाशीघ्र कार्यवाही किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0-590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 के अनुपालन में डेयरी संचालकों को अवैध रूप डेयरी संचालन, जलभराव से निदान एवं नगरीय ठोस अपविष्ट व गोबर का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कराने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

NOTARY
PARVEZ KHAN
ADVOCATE & NOTARY
BAREILLY

31/1/2026

जिला मजिस्ट्रेट
बरेली।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट बरेली।

पत्रांक- 962 /ओ0ए0 संख्या-590/2025 दिनांक- 02.02.2026

मंडल रेल प्रबन्धक
इज्जतनगर मण्डल
पूर्वोत्तर रेलवे

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0- 590/2025 "नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य" में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत श्री नितिन आनन्द निवासी शहदाना कालोनी माडल टाउन थाना बारादरी जनपद बरेली के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2025 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम), अधिशासी अभियन्ता नगर निगम बरेली एंव तहसीलदार सदर बरेली से संयुक्त जांच आख्या प्राप्त की गयी। संयुक्त जांच आख्या दिनांक 20.01.2026 में अवगत कराया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अनुप्रयुक्त मीटरगंज रेलवे ट्रैक शहदाना(श्यामगंज) से इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली के दोनों ओर रेलवे की आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण सामग्री, भैंस/गाय इत्यादि ट्रेक से बांधकर गोबर एकत्रित कर डेयरी संचालन किया जाना, कबाड़ियों द्वारा कबाड़ को खरीदने बेचने का कार्य करते हुए अवशेष कचरा रेलवे की भूमि पर फैलाया जाना तथा रेलवे की उक्त भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत क्षेत्र रेलवे के स्वामित्व का है जो रेलवे का निजी परिसर है। रेलवे विभाग को उक्त भू-खण्ड/भाग, पर फेन्सिंग/बाउन्ड्रीवॉल बनाकर संरक्षित तथा सुरक्षित किये जाने के साथ-साथ अवैध रूप से संचालित हो रही गातिविधियों को पर्यावणीय दृष्टिकोण से रोका जाना वैधानिक बाध्यता है। उक्तानुसार रेलवे विभाग को पर्यावरण के दृष्टिकोण से यथाशीघ्र कार्यवाही किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0-590/2025 नितिन आनन्द बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 के अनुपालन में रेलवे की आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से भवन निर्माण सामग्री, भैंस/गाय इत्यादि ट्रेक से बांधकर गोबर एकत्रित कर डेयरी संचालन, कबाड़ियों द्वारा कबाड़ खरीदना व बेचना एवं रेलवे की उक्त भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

NOTARY GOVERNMENT OF INDIA

3/1/2026

जिला मजिस्ट्रेट
बरेली।